

कार्यालय प्राचार्य म०पु०रा०प० शासकीय कन्या महाविद्यालय देवास (म०प्र०)

E-mail:- heggcdew@mp.gov.in Phone No.: 07272-228211

क्रमांक - 922 /स्था./22

देवास, दिनांक: 25/07/2022

आमंत्रण के आधार पर अध्यापन व्यवस्था हेतु विज्ञप्ति सत्र 2022-23

महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति द्वारा संचालित विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में सत्र 2022-23 हेतु आमंत्रण के माध्यम से अध्यापन कार्य करवाया जाना है।

क्र.	विषय	पद	मानदेय राशि (प्रतिमाह)	न्यूनतम शैक्षणिक अह्वताये यू.जी.सी.के नियमानुसार
1	वाणिज्य	2	18000/-	M.Com
2	कंप्यूटर साइंस	2	18000/-	M.Sc. (Computer Science) / MCA
3	रसायन शास्त्र	2	18000/-	M.Sc. (Chemistry)
4	भौतिक शास्त्र	2	18000/-	M.Sc. (Physics)
5	एम.एस.डब्ल्यू. (MSW)	2	18000/-	M.A. (social work /MSW)
6	बायोटेक	1	18000/-	M.Sc. (Biotech)
7	पी. जी. डिप्लोमा इन एच.आर. एम	1	18000/-	M.B.A (H.R)
8	लेब तकनीशियन Computer Science	1	12000/-	B.Sc. C.S./Trained in Hardware & Software Working Network
9	लेब तकनीशियन Biotech	1	12000/-	B.Sc. Biotech
10	लेब तकनीशियन Zoology	1	12000/-	B.Sc.

योग्यता संबंधी निर्देश एवं शर्तें:-

- यह आमंत्रण आधारित शैक्षणिक व्यवस्था पूर्णतः अस्थाई है। यह व्यवस्था म.प्र. शासकीय सेवा का भाग नहीं है इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करने वाले किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे एवं लोक-सेवक की विधि-विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
- अर्हता प्राप्त आवेदक अपने आवेदन के साथ प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपि लगाते हुए रजिस्टर्ड पोस्ट / स्पीड पोस्ट/कुरियर/स्वयं के द्वारा भेजे विगागीय वेबसाइट पर विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 10 दिवस तक आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। लिफाफे पर आवेदित पद एवं विषय का उल्लेख होना अनिवार्य है।
- आवश्यक अह्वताये/अधिभार म.प्र. शासन उच्चशिक्षा विभाग एवं यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित नवीनतम आदेशानुसार लागू होगी एवं आमंत्रण व्यवस्था पूर्णतः मेरिट सूचि अनुसार रहेगी। आमंत्रण हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण UGC एवं म.प्र. शासन उच्चशिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों/ मापदंड अनुसार होगा।
- विभिन्न पदों की संख्या एवं मानदेय राशि का निर्धारण जनभागीदारी समिति द्वारा किया जायेगा एवं इसमें परिवर्तन का पूर्ण अधिकार जनभागीदारी समिति को रहेगा।
- आमंत्रित उम्मीदवारों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन संतोषजनक न होने पर या अनुशासन संबंधी विवाद की स्थिति में शैक्षणिक व्यवस्था समाप्त करने का अधिकार महाविद्यालय जनभागीदारी समिति के सचिव को रहेगा एवं निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।
- आवेदन पत्र अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में निरस्त किया जायेगा।



प्राचार्य एवं सचिव

जनभागीदारी समिति, म.पु.रा.प. शासकीय कन्या महाविद्यालय देवास म.प्र.